F.No.21/07/2019-CS-I(P)
Ministry of Personnel, Public Grievances Pension
Department of Personnel & Training
(C.S.I Division)
****

2nd Floor, 'A' wing,
Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi
Dated 24 October, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Filling up of one(01) post of Director, Level-13, Rs. 1,23,100-2,15,900 (pre-revised PB-4, Rs. 37,400-67,000+8700 ib deputation basis in Central Hindi Training Institute, New Delhi, a subordinate office of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

The undersigned is directed to circulate the Office Memorandum No. 14034/17/2019 dated 22nd October, 2019 (along-with enclosures) received from Ministry of Home Affairs who have invited the services of suitable officer urgently for appointment to the post of Director, in Central Hindi Training Institute, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs on deputation basis, in the revised pay scale Pay Matrix Level-13, Rs. 1,23,100---2,15,900 (Pre-revised PB-, Rs. 37,400-6700+ Grade pay of Rs.8700)

2. It may be noted that cadre clearance from C.S.I Division will be required in case of Under Secretary and above level officers of CSS applying for deputation

3. In case of any further clarification, applicants are requested to contact the concerned Ministries/Departments.

S.K. Das Gupta
(Sanjay Kumar Das Gupta)
Under Secretary to the Government of India
Tele:- 24629412

To,

All Ministries/Departments (through DOPT's website)

265

फा.सं0 14034/17/2019-राभा(प्रशि)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-1 दिनांक 22 अक्तूबर 2019

सेवा में,

निदेशक (सी.एस.1),
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग,
लोकनायक भवन, खान मार्किट,
<u>नई दिल्ली-110003</u>

विषय:- गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली में निदेशक वेतनमान लेवल-13, ₹1,18,500-2,14,100 पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-4,₹37400-67000+8700) के पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राजभाषा विभाग के अधीनस्थ केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में निदेशक के पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना है ।

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध है कि वे निदेशक के पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने के संबंध में दिनांक 22 अक्तूबर 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/17/2019-राभा(प्रशि) को अपने विभाग की वेबसाइट (विकेंसी नोटिफिकेशन) पर अपलोड करवाने का कष्ट करें ।

भवदीया,

संलग्न:- यथोपरि ।

(मंजुला सक्सैना)
उप सचिव, भारत सरकार

अनु. अधि. (समन्वय)

24/x/19

अवर सचिव (Coord)

फा.सं0 14034/17/2019-राभा(प्रशि)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

चौथा तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जयसिंह रोड, निकट जंतर-मतर,
नई दिल्ली-1,दिनांक 22 अक्तूबर 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली में निदेशक लेवल-13 ₹ 1,23,100-2,15,900 (पूर्व संशोधित पीबी-4 ₹ 37400-67000+8700 ग्रेड वेतन) के पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना ।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में निदेशक के एक पद पे-मैट्रिक्स लेवल-13 ₹1,23,100-2,15,900 (पूर्व संशोधित पीबी-4 ₹ 37400-67000+8700 ग्रेड वेतन) को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए, उपयुक्त अधिकारी की सेवाओं की तत्काल आवश्यकता है । इस पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव तथा अन्य ब्यौरे अनुबंध-। में दिए गए हैं । इस पद पर चयनित अधिकारी का वेतन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जून 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था (वेतन-II), समय समय पर यथासशोधित, में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

2. अत: अनुरोध है कि इस पद के लिए योग्य, इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों, जिन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) संलग्न प्रोफार्मा (अनुबंध-II) में, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने या इस कार्यालय ज्ञापन के इम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो निम्नलिखित दस्तावेजों सहित अधोहस्ताक्षरी को उचित माध्यम से भेज दें:-

(I) आवेदक की संपूर्ण गोपनीय रिपोर्टों के डोजियर अथवा पिछले पांच वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटो प्रतियां । फोटो प्रति का प्रत्येक पृष्ठ समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हो ।

(II) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र ।

(III) अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनिक/सतर्कता का मामला लंबित न हो तथा न ही इस प्रकार का कोई मामला चलाए जाने का विचार है, का प्रमाण पत्र ।

(Iv) अधिकारी पर पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान यदि कोई छोटी/बड़ी शास्ति लगाई हो, तो उसका विवरण । (यदि कोई शास्ति न लगाई हो तो "शून्य" प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)

(v) आवेदक के संबंध में संवर्ग अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

3. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र या जिनके साथ संपूर्ण वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का डोजियर या वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की सत्यापित प्रतियां नहीं होंगी या संबंधित कार्यालय की सहमति के बिना प्राप्त होंगे अन्यथा अपूर्ण होंगे, उन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा । जो अधिकारी आवेदन करेंगे उन्हें अपना आवेदन पत्र बाद में वापस लेने की अनुमति नहीं होगी ।

आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय इस बात की जांच एवं पुष्टि कर ली जाए कि अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए विवरण सही हैं । इस बात की भी पुष्टि कर ली जाए कि नियुक्ति के लिए चुने जाने की स्थिति में, संबंधित अधिकारी को उसके कार्यों से तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

(मंजुला सक्सैना)
उपसचिव (प्रशि)

1. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय ।
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय,
4. प्रधानमंत्री कार्यालय ।
5. मंत्रीमंडल सचिवालय
6. भारत का निर्वाचन आयोग ।
7. लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय
8. संघ लोक सेवा आयोग ।
9. केंद्रीय सतर्कता आयोग ।
10. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ।
11. गृह मंत्रालय (मुख्यालय)/न्याय विभाग/जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग तथा राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
12. गृह मंत्रालय के सभी काडर यूनिट ।
13. निदेशक (नीति/तकनीकी/कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ।
14. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
15. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ।
16. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. राजभाषा विभाग ।
17. मीडिया एग्जीक्यूटिव, डी.ए.वी.पी., सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,सूचना भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली ।
18. गार्ड फाइल।
19. अतिरिक्त प्रतियां 25

(मंजुला सक्सैना)
उपसचिव (प्रशि)

अनुबंध-I

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में निदेशक के पद के लिए शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव तथा अन्य विवरण

1.	पद का नाम	निदेशक
2.	पदों की संख्या	1 (एक)
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अलिपिकवर्गीय ।
4.	वेतनमान	पे-मैट्रिक्स लेवल-13 ₹1,23,100-2,15,900 (पूर्व संशोधित पीबी-4 ₹37400-67000+8700 ग्रेड वेतन)
5.	प्रतिनियुक्ति की अवधि एवं आयु सीमा	प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडॅर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6.	पात्रता	केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (I) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (II) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतनबैंड-3,₹15600-39100 + ग्रेड वेतन 7600 ₹ रूपये या समतुल्य (पूर्व संशोधित वेतनमान ₹12000-16500) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) (i) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री या समतुल्य । या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य । या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य । या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री या समतुल्य । या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री या समतुल्य । (ii) हिंदी में शब्दावली विषयक कार्य और/या अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी अधिमानत: तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद कार्य का बारह वर्ष का अनुभव । या हिंदी में अध्यापन, अनुसंधान,लेखन या पत्रकारिता का बारह वर्ष का अनुभव । टिप्पणी 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

7	पद के कर्तव्य	1. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है । हिन्दी शिक्षण को कार्यान्वित करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक का होता है जो सीधे तौर पर राजभाषा विभाग को रिपोर्ट करता है । निदेशक केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान और हिन्दी शिक्षण योजना का विभाग प्रमुख है । वह समूह 'ख' तथा 'ग' के विभिन्न पदो के संबंध मे नियुक्ति/अनुशासनात्मक प्राधिकारी भी होता है । 2. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान तथा हिन्दी शिक्षण योजना से संबधित नीतियों को लागू करना । 3. इनके नियंत्रणाधीन पूर्णकालिक और अंशकालिक केन्द्रो के कार्य निष्पादन की समीक्षा करना तथा प्रशिक्षण केन्द्रो को खोलने तथा बंद करने के संबंध में अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करना । 4. हिन्दी शिक्षण योजना के विभिन्न केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियो की बैठकें बुलाना और उनसे नियमित सम्पर्क स्थापित करना तथा कक्षाओं में पर्याप्त नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना । 5. राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव (राजभाषा) और अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गए आदेशों/अनुदेशों का पूर्णतया अनुपालन । 6. अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत उपनिदेशक, सहायक निदेशक, हिन्दी प्राध्यापक और अन्य स्टाफ़ की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना । 7. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के साथ-साथ हिन्दी शिक्षण योजना के तहत संचालित विभिन्न परीक्षाओ का नियंत्रण एवं देखरेख करना । 8. हिन्दी शिक्षण योजना के संबंध में भारत सरकार की नीतियों के समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना । 9. हिंदी शिक्षण योजना के साथ-साथ केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के बजटीय व्यय पर नियंत्रण रखना । 10. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम 1978 के अनुसार उन्हें विभाग के प्रमुख के रूप में निहित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना ।

अनुबंध-II

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में) मोबाइल नं0 ई-मेल आईडी	
2. जन्म तिथि (ईसवी सन् में)	
3. (i) सेवा में आने की तारीख (ii) केन्द्र/राज्य सरकारी नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख	
4. शैक्षिक योग्यताएं	
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं (यदि कोई अर्हता नियमों में निर्धारित अर्हता के समरूप मानी गई हो तो उसके प्रमाण का उल्लेख करें)	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में यथाउल्लिखित अर्हता/अनुभव आवश्यक : क) अर्हता ख) अनुभव	अधिकारी द्वारा प्राप्त अर्हता/अनुभव आवश्यक : क) अर्हता ख) अनुभव
वांछनीय क) अर्हता ख) अनुभव	वांछनीय क) अर्हता ख) अनुभव

5.1 टिप्पणी : परिपत्र/रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी करते समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियमों में यथा उल्लिखित आवश्यक और वांछित अर्हताओं को प्रदर्शित करने के लिए इस कॉलम को प्रवर्धित करने की आवश्यकता है।

5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हताओं के मामले में आवेदक के ऐच्छिक/ मुख्य विषयों तथा सहायक विषयों को निर्दिष्ट करना होगा।

6 ऊपर दी गई प्रविष्टियों के आलोक में कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि आप पद के लिए आवश्यक अर्हताएं और कार्य का अनुभव रखते हैं।	

6.1 टिप्पणी : आवेदित पद के संदर्भ में आवेदक द्वारा धारित संबद्ध आवश्यक अर्हता/ कार्य अनुभव (जीवनवृत्त में यथानिर्दिष्ट) की पुष्टि करते हुए आपूर्तिकर्ता विभागों को अपनी विशेष टिप्पणी/दृष्टिकोण उपलब्ध कराने होंगे।

7. अवधिवार रोजगार के ब्यौरे| यदि नीचे स्थान पर्याप्त न हो तो अपने हस्ताक्षर द्‌वारा विधिवत अधिप्रमाणित अलग शीट संलग्न करें|

कार्यालय/ संस्था	नियमित आधार पर धारित पद	दिनांक से	दिनांक तक	*नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	कार्य का स्वरूप (विस्तृत रूप में) जिसमें आवेदित पद के लिए अपेक्षित अनुभव को विशिष्टता से दर्शाया गया है|

* महत्वपूर्ण : एसीपी/एमएसीपी के तहत स्वीकृत वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अधिकारी के लिए व्यक्तिगत होता है, इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए| केवल नियमित अधार पर धारित पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान का उल्लेख किया जाना चाहिए| वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एमएसीपी के ब्यौरे को निम्नानुसार निर्दिष्ट किया जाए जहां आवेदक द्‌वारा ऐसे लाभ प्राप्त किए गए हों :

कार्यालय/संस्था	एसीपी/ एमएसीपी स्कीम के तहत आहरित वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	से	तक
8. वर्तमान रोजगार का स्वरूप अर्थात तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा अर्द्धस्थायी अथवा स्थायी			
9. प्रतिनियुक्ति / अनुबंध आधार पर धारित वर्तमान रोजगार के मामले में कृपया उल्लेख करें			
क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख़	ख) प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि	ग) आवेदक का मूल कार्यालय/ संगठन	घ) मूल संगठन में वास्तविक सामर्थ्य में धारित पद का नाम और वेतन

9.1 टिप्पणी : पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के मामले में ऐसे अधिकारियों के आवेदन उनके मूल कैडर/विभाग द्वारा संवर्ग अनापत्ति, सतर्कता अनापत्ति और सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के साथ अग्रेषित किए जाने चाहिए।	
9.2 टिप्पणी : ऊपर कॉलम 9 (ग) और 9(घ) के तहत सूचना उन सभी मामलों में दी जाए जहां कोई आवेदक कैडर/संगठन से इतर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है परंतु अपने मूल कैडर/ संगठन में अभी भी ग्रहणाधिकार पर है।	
10. आवेदक द्वारा पूर्व में यदि कोई पद प्रतिनियुक्ति पर धारित किया गया है तो पिछली प्रतिनियुक्ति से वापस आने की तारीख और अन्य ब्यौरे। 11. वर्तमान रोज़गार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे कृपया उल्लेख करें - निम्नलिखित के अंतर्गत कार्यरत हैं : (संबद्ध कॉलम में अपने नियोक्ता का नाम निर्दिष्ट करें) (क) केन्द्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायत्त संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ङ) विश्वविद्यालय (च) अन्य	
12. कृपया उल्लेख करें : क्या आप उसी विभाग में और फ़ीडर ग्रेड अथवा फ़ीडर के फ़ीडर ग्रेड में कार्यरत हैं।	
13. क्या आप वेतन के संशोधित वेतनमान में हैं। यदि हां, तो संशोधन की तारीख और संशोधन पूर्व-वेतनमान का उल्लेख करें।	
14. प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां	

वेतनबैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां

15. यदि आवेदक ऐसे संगठन का सदस्य है जो केन्द्र सरकार में लागू वेतनमान का अनुसरण नहीं करता तो संगठन द्वारा जारी निम्नलिखित ब्यौरे दर्शाने वाली अद्यतन वेतन पर्ची संलग्न की जाए

वेतनमान और वृद्धि दर सहित मूल वेतन	महंगाई भता/अंतरिम सहायता/ अन्य भते आदि (अलग-अलग ब्यौरों के साथ)	कुल परिलब्धियां

16. (क) आवेदित पद के संबंध में, पद हेतु आपकी उपयुक्तता के समर्थन में अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो। (इसके अलावा (1) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (2) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (3) रिक्ति परिपत्र/ विज्ञापन में निर्धारित अतिरिक्त कार्य अनुभव के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है।) (टिप्पणी : स्थान अपर्याप्त होने पर अलग शीट संलग्न करें)	
16. (ख) उपलब्धियां : उम्मीदवार कृपया निम्नलिखित के संबंध में सूचना उपलब्ध कराएं:- (i) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट्स तथा विशेष प्रोजेक्ट्स (ii) पुरस्कार/ छात्रवृत्ति/ आधिकारिक प्रशस्ति (iii) व्यावसायिक निकायों/ संस्थाओं/ समितियों से संबंधन और (iv) अपने नाम से पंजीकृत अथवा संगठन के लिए प्राप्त पेटेंट्स (v) कोई अनुसंधान / अभिनव मानदंड जिसे आधिकारिक पहचान मिली हो (vi) कोई अन्य सूचना (टिप्पणी : स्थान अपर्याप्त होने पर कृपया अलग शीट संलग्न करें)	
17. कृपया उल्लेख करें कि आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) /विलयन/ पुन:रोजगार आधार# पर आवेदन कर रहे हैं (केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अधिकारी ही केवल "विलयन" के लिए पात्र हैं। गैर सरकारी संगठन के उम्मीदवार केवल अल्पकालिक अनुबंध के लिए पात्र हैं)	
# "एसटीसी"/"विलयन"/ पुन: रोजगार का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा जब रिक्ति परिपत्र में "एसटीसी" अथवा "विलयन" अथवा "पुन: रोजगार" द्वारा भर्ती का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया हो।	
18. क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं।	

मैंने रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मुझे इसकी पूरी जानकारी है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवश्यक योग्यता / कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित मेरे जीवनवृत्त में प्रस्तुत सूचना का पद के लिए चयन के समय चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रदत्त सूचना / ब्यौरे मेरी पूरी जानकारी में ठीक और सत्य हैं तथा मेरे चयन को प्रभावित करने वाले किसी विषय को छुपाया /रोका नहीं गया है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

दिनांक

पता :-----------------

स्थान

ईमेल सहित ---------------

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र

कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आवेदक द्वारा उपरोक्त आवेदन में दी गई सूचनाएं/ ब्यौरे सत्य और ठीक हैं| वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते/रखती हैं| चयन होने की स्थिति में उन्हें तत्काल मुक्त कर दिया जाएगा

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

(i) श्री/श्रीमती--------------------- के विरुद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक मामला लंबित/ विचारणीय नहीं है|

(ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है|

(iii) उनकी सत्यनिष्ठा रिपोर्ट मिसिल (सीआर डोजियर) की मूल प्रति संलग्न की जाती है| भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उससे ऊपर के पद के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट की छाया प्रतियां संलग्न की जाती हैं|

(iv) पिछले वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी /छोटी शस्ति आरोपित नहीं की गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ति की सूची संलग्न की गई है| (जैसा भी मामला हो)

प्रतिहस्ताक्षरित

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक अधिकारी मुहर सहित)

218

File No. 14034/17/2019-OL(Training)
GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE/RAJBHASHA VIBHAG

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi-1, Dated 22nd October, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Filling up of one Post of Director Level-13, ₹1,23,100-2,15,900(pre-revised PB-4, ₹37,400-67,000+8700 on deputation basis in Central Hindi Training Institute, New Delhi, a subordinate office of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs,

The services of one suitable officer are urgently required for appointment to the post of Director, in Central Hindi Training Institute, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs on deputation basis, in the revised pay scale Pay Matrix Level-13, ₹1,23,100-2,15,900 (Pre-revised PB-4, ₹37400-67000+Grade pay of ₹8700). The qualification and experience required for the post and other details are given in Annexure-I. The pay of selected officer will be regulated in accordance with the Department of Personnel & Training Office Memorandum No. 6/8/2009-Estt (Pay-II) dated 17th June, 2010, as amended from time to time.

2. It is requested that the application (in duplicate) in the enclosed proforma (Annexure-II) of suitable, willing and eligible officers and who can be spared immediately on selection may be sent to the undersigned within 60 days from the date of issue of the Office Memorandum or from the date of publication of this Office Memorandum in Employment News/Rozgar Samachar, whichever is later along with the following documents:-

(i) Clear Photostat copies of their ACR/APAR for the last 5 years i.e. 2013-14 to 2017-18 duly attested by Group "A" Gazetted Officer.

(ii) Integrity Certificate.

(iii) Certificate confirming that no disciplinary/Vigilance case is either pending or being contemplated against the officer.

(iv) A statement showing major or minor penalties, if any, imposed on the applicant during the last 10 years. (If no penalty has been imposed, a 'NIL' certificate should be enclosed).

(v) Cadre clearance in respect of the applicant.

3. Application received after the closing date or without the photostat copies of ACR/APAR duly attested by a Group 'A' officer or without recommendation of the concerned office or otherwise found incomplete are liable to be rejected. Officers who apply for the post will not be allowed to withdraw their candidature subsequently. While forwarding the applications, it may be verified and certified that particulars furnished by the officer are correct. It may also be confirmed that in the event of selection for appointment, the officer concerned will be immediately relieved of his duties.

(MANJULA SAXENA)
Deputy Secretary (Trg.)